न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 57/2022

अनवान : –

1. रामनिवास पुत्र हरलाल जाति मेघवाल निवासी भिरानी त0 भादरा।
2. रतनकुमार पुत्र जैयलाल जाति मेघवाल निवासी भिरानी त0 भादरा।
3. राजेन्द्र पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी भिरानी त0 भादरा।

प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री बंलवत सिंह **प्रार्थी**
राजपैरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांक: 10-4-23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 345/329 के मु0न0 340, 384, 385, 387, 388 की कुल 4.8070है0 प्रार्थीगण के दादा मातुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थीगण के दादा का नाम माडूराम पुत्र मामचन्द दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीगण के दादा का सही नाम नाम मातुराम पुत्र मामचंद है। प्रार्थीगण के पिता भी वर्तमान में फौत हो चुके है जिनके सभी दस्तावेजों में नाम मातुराम ही दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीगण के दादा का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्वि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थीगण ने अपना जवाब पेश किया।

उपखण्डअधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीगण के दादा को उक्त वाद भूमि विरासतन अपने पिता मामचन्द से प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण के दादा का नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय उक्त वाद भूमि में माडूराम दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थीगण के सभी दस्तावेज में नाम मातुराम पुत्र मामचन्द ही दर्ज है। अतः प्रार्थीगण के दादा का सही नाम मातुराम पुत्र मामचन्द दर्ज किया जावें ताकि प्रार्थीगण अपनी वाद भूमि का अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवा सकें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात यथा प्रार्थीगण के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र , प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भिरानी सरपंच सही नाम मातुराम पुत्र मामचंद ही दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 345/329 के मु0न0 340, 384, 385, 387, 388 की कुल 4.8070है0 में दर्ज **माडूराम पुत्र मामचंद की जगह सही नाम मातुराम पुत्र मामचंद दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।**

निर्णय आज दिनांक 10-4-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़